हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गिरधारी राम बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 80/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 89/2021 **गिरधारी राम** बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्थो को दोहराया गया एवं सरहद मौजा धांधीया, पटवार हल्का धांधीया तहसील लूणी जिला जोधपुर को खेत खसरा सं. 148 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा मे राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि की जाकर खेत खसरा नं. 148/1 के स्थान पर 148 प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया एवं उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमाक/भू.अ/2020/4107 दिनाक 17.01.2020 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी सवत 2072–75 मे खसरा नं. 148/1 रकबा 19.19 बीघा गिरधारीराम बस्ताराम पि. प्रतापराम भीखी पत्नी प्रतापराम जाति लवार के नाम खातेदारी दर्ज होना बताया एवं यह भी उल्लेखित किया कि खसरा नं. 148 कुल रकबा 68.03 बीघा मे से 19.19 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता के प्रतापराम के नाम आवंटित की गई थी जिसका ना. सं. 205 है बाद मे प्रतापराम के फौत होने पर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया। नाम सं. 205 भरते वक्त खसरा नं. 148 ही दर्ज किया गया था बाद मे उसे 148/1 19.19 बीघा दर्ज किया गया, जो वर्तमान मे भी चल रहा है। नाम सं. 205 के पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित नही है एव उपलब्ध नक्ष लठ्टे मे मूल खसरा नं. 148 व 148/1 व 148/2 तथा 148/3 अंकित कर तरमीम की हुई है। खसरा नं. 148 रकबा 24.19 बीघा राजकीय भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम जरिये नाम सं. 557 के दर्ज किया गया है। इस तरह प्रकरण राजस्व अभिलेख शुद्धि का न होकर नक्शा मे तरमीम शुद्धि का प्रतीत हो रहा है तथा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी